**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 5311**

**03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**चंडीगढ़ ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना की व्यवहार्यता**

**5311. श्री मनीश तिवारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए), चंडीगढ़ द्वारा अपने गठन के पश्चात् से अब तक किए गए विचार-विमर्शों, निष्कर्षों और बुलाई गई बैठकों की संख्या का तिथिवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूएमटीए ने चंडीगढ़ ट्राइसिटी मेट्रो की संभाव्यता और वित्तीय व्यवहार्यता के नए अध्ययन के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) को फिर से नियुक्त किया है, जबकि राइट्स ने पहले इस परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नए अध्ययन को शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राइट्स की नवीनतम रिपोर्ट की समीक्षा की है और यदि हां, तो परियोजना की व्यवहार्यता की पुष्टि करने वाले प्रमुख निष्कर्ष कौन से हैं;

(घ) राइट्स के निष्कर्षों के आलोक में चंडीगढ़ ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना के तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के संबंध में सरकार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या परियोजना को व्यवहार्य माना गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चंडीगढ़ ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना के वित्तीय समापन, अपेक्षित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क): चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि यूनाइटेड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी (यूएमटीए) का गठन दिनांक 28.04.2023 को किया गया था। यूएमटीए की पहली, दूसरी और तीसरी बैठक क्रमशः दिनांक 18.07.2023, दिनांक 13.12.2023 और दिनांक 02.09.2024 को आयोजित की गई थी।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचना दी है कि दिनांक 02.09.2024 को चंडीगढ़ प्रशासक की अध्यक्षता मे आयोजित यूएमटीए की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दिनांक

01.11.2024 की अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जो मेसर्स राइट्स लिमिटेड और अन्य हितधारकों के समन्वय से संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मेट्रो की वित्तीय संभाव्यता का पता लगाने के लिए मेट्रो परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी।

(ग) से (ङ): संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की आयोजना, पहल करने और इन्हें विकसित करने के लिए संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की हैं, जो शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी रेल आधारित प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान करने के विषय में विचार करती है।

वर्तमान में, चंडीगढ़ में मेट्रो परियोजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।